जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/vg/08 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 3 जुलाई 2021

क्यूंकि चौकीदार ही चोर है!!

रोडवेज के टिकटों के पीछे छपने वाले, विज्ञापनो मे लाखो-करोड़ो का घपला!!

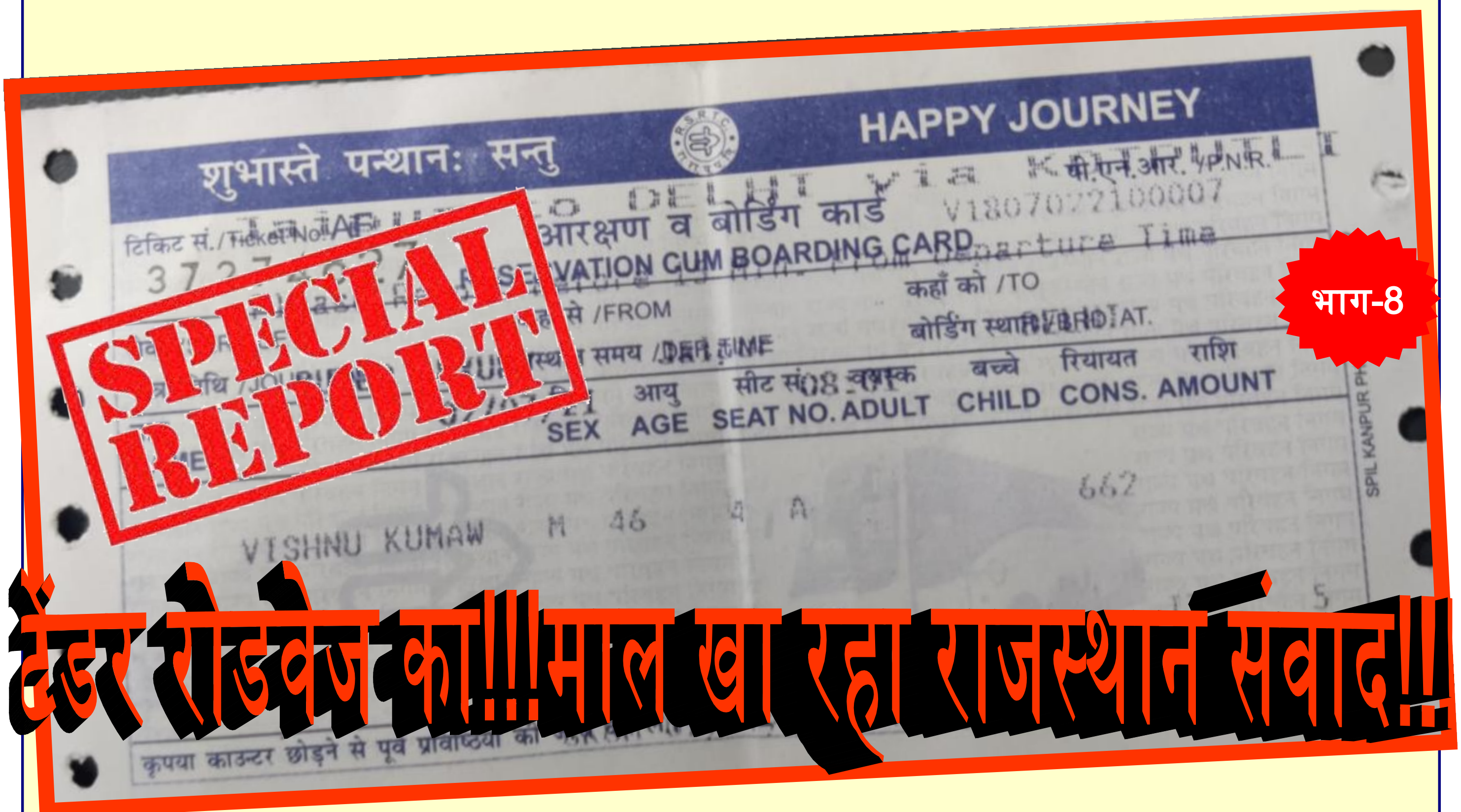

टेंडर रोडवेज का!!!माल खा रहा राजस्थान संवाद!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को कंप्यूटर से विक्रय किए जाने वाले टिकटों के पीछे की और विज्ञापन के प्रकाशन हेतु हर वर्ष निविदा आमंत्रित की जाती है|वर्ष 2018 मे जारी निविदा मे रोडवेज द्वारा सालाना 3 करोड़ टिकटों के प्रकाशन का लक्ष्य रखा गया,जबकि वर्ष 2021 मे जारी निविदा के अनुसार एक वर्ष मे 2.5 करोड़ एवं दो वर्ष मे कुल 5 करोड़ टिकटों के पीछे विज्ञापन छपवाने का लक्ष्य रखा गया|वर्ष 2018 मे इस बोली की अवधि एक साल तय की गयी,जिसे छह माह और बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया|वहीं वर्ष 2021 मे इस निविदा को दो साल के लिए आमंत्रित किया गया|

राजस्थान संवाद से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019 के लिए इस टेंडर को अलिशा एडवर्टाइजिंग,C-51,खादी कॉलोनी,बजाज नगर,जयपुर को राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिकार पत्र क्रमांक एफ़ 4/मु॰/वित्त/टि.भ./2019/760 दिनांक 03/09/2019 के माध्यम से जारी किया गया|जिसमे बताया गया कि अलिशा एडवर्टाइजिंग कंप्यूटर टिकटों के पृष्ठ भाग के लिए विज्ञापन एकत्रित करने के लिए दिनांक 28/08/2019 से 27/08/2020(एक वर्ष)तक के लिए अधिकृत है|

चूंकि इन टिकटों के पीछे छपने वाले विज्ञापनों के लिए सरकारी विभाग,राजकीय उपक्रम,बैंक,बीमा कंपनी आदि जिनका जन हित से संबंध हो,के विज्ञापन को वरीयता देने का प्रावधान रखा गया था|अतः राजस्थान संवाद द्वारा अलिशा एडवर्टाइजिंग के प्रस्ताव पत्र दिनांक 29/11/2019 पर विचार करते हुए, अपने पूर्व मे जारी किए गए आदेश क्रमांक 479 दिनांक 16/10/2019 के संदर्भ मे कंप्यूटर टिकटों के पृष्ठ भाग के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक संदेश से विज्ञापन प्रसार हेतु 50 लाख टिकट मुद्रण हेतु आदेश प्रदान किए गए|

इस कार्य के संबंध मे अलिशा एडवर्टाइजिंग द्वारा कार्य संपादित कर बिल स.005 दिनांक 09/04/2020 को 3245000/- रुपए का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया|

लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर के महाप्रबन्धक(वित्त)द्वारा अपने पत्र संख्या एफ

4/मुख्या/वित्त/टिभ/2019-20/1909 दिनांक 1805/2020 द्वारा केवल 20 लाख टिकट कम्प्युटराईज़ होकर प्राप्त करने एवं टिकटों का स्टॉक रेजिस्टर मे इंदाज कर आवंटन करने का उल्लेख किया गया|जिसमे बताया गया कि टिकटों पर निम्न विषय मुद्रित है:-

1. शिक्षा के क्षेत्र मे बढ़ रहा राजस्थान
2. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दशा मे लिए महत्वपूर्ण निर्णय

अतएव अलिशा एडवर्टाइजिंग द्वारा 20 लाख टिकटों की छपाई को पुख्ता मानते हुए कंपनी को 1298000/- का भुगतान कर दिया गया|

बचे हुए अतिरिक्त 30 लाख टिकटों के संबंध मे अलिशा एडवर्टाइजिंग द्वारा कार्य संपादित कर बिल स.005A दिनांक 0206/2020 को 1947000/- रुपए का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया|

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर के महाप्रबन्धक(वित्त)द्वारा अपने पत्र संख्या एफ 4/मुख्या/वित्त/टिभ/2019-20/818 दिनांक 04/06/2020, पत्रांक 822 दिनांक 25/06/2020 एवं पत्रांक 823 दिनांक 25/06/2020 द्वारा 30 लाख टिकट कम्प्युटराईज़ होकर प्राप्त करने एवं टिकटों का स्टॉक रजिस्टर मे इंदाज कर आवंटन करने का उल्लेख किया गया|जिसमे बताया गया कि टिकटों पर निम्न विषय मुद्रित है:-

1. राज्य सरकार की प्राथमिकता युवाओं मे बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कारगर तरीके से दूर करना है|इस द्रष्टि से प्रदेश मे इस वर्ष विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 75 हजार पदो पर भर्तियाँ की जा रही है|
2. 24 लाख मजदूरो के लिए राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 से सुरक्षा से सहायता
3. वृद्धजनों का सम्मान भी सुरक्षा भी|

अतएव अलिशा एडवर्टाइजिंग द्वारा 30 लाख टिकटों की छपाई को पुख्ता मानते हुए कंपनी को 1947000/- का भुगतान कर दिया गया|

इसी प्रकार राजस्थान संवाद द्वारा अलिशा एडवर्टाइजिंग के प्रस्ताव पत्र दिनांक 18/02/2020 पर विचार करते हुए, अपने पूर्व मे जारी किए गए आदेश क्रमांक 164 दिनांक 22/01/2020 के संदर्भ मे कंप्यूटर टिकटों के पृष्ठ भाग के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक संदेश से विज्ञापन प्रसार हेतु 50 लाख टिकट मुद्रण हेतु आदेश प्रदान किए गए|

इस प्रकार राजस्थान संवाद द्वारा एक करोड़ टिकट पर संवाद के विज्ञापन मुद्रण करने का ठेका अलिशा एडवर्टाइजिंग को बिना टेंडर प्रक्रिया के दे दिया गया|

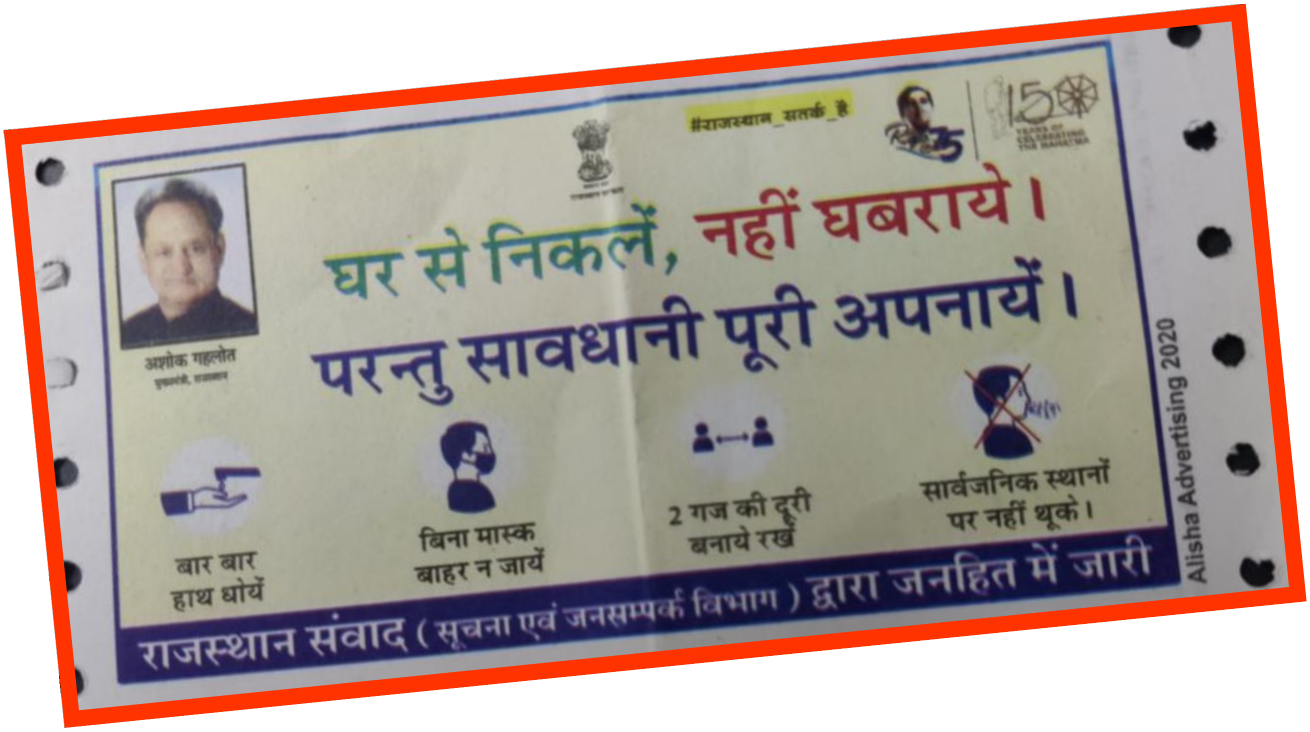

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन है अलिशा एडवर्टाइजिंग का मालिक?
2. राजस्थान संवाद द्वारा किस निविदा के तहत अलिशा एडवर्टाइजिंग का चयन किया गया?
3. जब अलिशा एडवर्टाइजिंग राजस्थान संवाद के पैनल मे ही नहीं है तो उसे किस आधार भुगतान किया गया?
4. राजस्थान संवाद द्वारा अलिशा एडवर्टाइजिंग को वर्ष 2019 के लिए प्रति टिकट दी जाने वाली राशि 0.55 पैसे प्रति टिकट का निर्धारण किस प्रकार किया गया?
5. राजस्थान संवाद द्वारा अलिशा एडवर्टाइजिंग को वर्ष 2019 के लिए किन किन मदों से भुगतान किया गया?
6. राजस्थान संवाद द्वारा अलिशा एडवर्टाइजिंग को वर्ष 2019 के लिए कितने टिकटों पर विज्ञापन छापने हेतु भुगतान किया गया?
7. राजस्थान संवाद द्वारा अपने दो आदेशों क्रमशः क्रमांक 479 दिनांक 16/10/2019 और क्रमांक 164 दिनांक 22/01/2020 माध्यम से कंप्यूटर टिकटों के पृष्ठ भाग के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक संदेश से विज्ञापन प्रसार हेतु 50-50 लाख टिकट मुद्रण हेतु दो बार आदेश जारी किए गए|तो क्या अपने इन आदेशों के क्रम मे राजस्थान संवाद द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए 1 करोड़ टिकटों के मुद्रण के आदेश अलिशा एडवर्टाइजिंग को दिये गए थे?
8. अपने दोनों कार्यादेशों मे किन-किन विषयों के मुद्रण करने के कार्यादेश जारी किए गए थे?जबकि अलिशा एडवर्टाइजिंग

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

द्वारा अपने 20 लाख और 30 लाख टिकटों पर अलग अलग विषय के विज्ञापन/संदेश मुद्रित करवाए गए?

9. जब कोरोना काल मे रोडवेज की बसे ही नहीं चल रही थी तो राजस्थान संवाद द्वारा टिकटों पर मुद्रण के लिए क्यूँ लाखो रुपए पानी किए गए?

10. जब अलिशा एडवर्टाइजिंग द्वारा राजस्थान संवाद के आदेश क्रमांक 479 दिनांक 16/10/2019 के क्रम मे 50 लाख टिकट मुद्रित कर, बिल स.005 दिनांक 09/04/2020 को 3245000/- रुपए का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया और रोडवेज द्वारा केवल 20 लाख टिकटों का ही स्टॉक रजिस्टर मे इंदाज बताया गया तब राजस्थान संवाद ने इस मामले की जांच क्यूँ नहीं करवाई कि अलिशा एडवर्टाइजिंग द्वारा किस आधार पर 50 लाख टिकटों का भुगतान मांगा जा रहा है?

11. राजस्थान संवाद द्वारा अलिशा एडवर्टाइजिंग को कितने कलर मे विज्ञापन छापने का कार्यादेश जारी किया गया?

12. कहीं ऐसा तो नहीं कि अलिशा एडवर्टाइजिंग को फर्जी भुगतान किए गए हो?

13. क्या यह संभव नहीं है कि अलिशा एडवर्टाइजिंग द्वारा कई विभागों मे बिल लगा कर इस तरह के फर्जी भुगतान प्राप्त किए गए हो?

14. जब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर के महाप्रबन्धक(वित्त)द्वारा अपने पत्र संख्या एफ 4/मुख्या/वित्त/टिभ/2019-20/818 दिनांक 04/06/2020, पत्रांक 822 दिनांक 25/06/2020 एवं पत्रांक 823 दिनांक 25/06/2020 द्वारा 30 लाख टिकट कम्प्युटराईज़ होकर प्राप्त करने एवं टिकटों का स्टॉक रजिस्टर मे इंदाज कर आवंटन करने का उल्लेख किया गया तो उसी दिन दिनांक 25/06/2020 को राजस्थान संवाद द्वारा कैसे अलिशा एडवर्टाइजिंग को 1947000/- रुपए भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी गयी?

15. वर्ष 2018 से आज दिनांक तक राजस्थान संवाद द्वारा अलिशा एडवर्टाइजिंग को कितने बिलों का भुगतान किया गया?

16. कौन है इस गेम का मास्टरमाइंड?आखिर कौन कौन है भ्रष्टाचार के इस खेल मे शामिल?

17. कौनसी एजेंसी करेगी इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच?वित्त विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या और कोई संस्था?

18. जिस राजस्थान संवाद मे मुख्यमंत्री,विभाग का मंत्री,कई विभागों के प्रमुख शासन सचिव सदस्य है,उस संस्था मे इस हद तक भ्रष्टाचार?क्या यही मुख्यमंत्री का सुशासन है?

19. क्या वित्त विभाग द्वारा इस भुगतान की ऑडिट करवाई गयी है?

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा जारी वर्ष 2018 के लिए जारी किया गया टेंडर|

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

कम्प्यूटर टिकिटों के पीछे प्रकाशन हेतु विज्ञापन उपलब्ध कराने के लिये बोली की शर्तों एवं निर्देशों का प्रपत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को कम्प्यूटर से विक्रय किये जाने वाले टिकिटों के पीछे की ओर विज्ञापन के प्रकाशन हेतु आमंत्रित बोली के सम्बन्ध मे शर्तें एवं निर्देश निम्न प्रकार है:–

1. बोली प्रपत्र में अंकित किये जाने वाले विवरण में किसी भी प्रकार की कांट–छांट नहीं होनी चाहिये तथा बोली प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर संस्थान के मालिक अथवा अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं संस्थान की रबर मोहर अंकित करना आवश्यक होगा।
2. बोली प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में प्रेषित करना होगा।
3. बोलीदाता की ओर से कोई सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा।
4. किसी भी बोली को स्वीकार करना निगम के लिये बाध्यकारी नहीं होगा तथा किसी भी बोली को बिना कारण बताये निगम द्वारा अस्वीकृत किया जा सकेगा।
5. किसी बोलीदाता संस्था/फर्म/व्यक्ति के विरूद्ध निगम में किसी भी मामले की बकाया राशि होने की स्थिति में इसके समायोजन के पश्चात ही उसके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।
6. प्रत्येक बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि के रूप में 80,000/– रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, "**वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर**" के नाम देय संलग्न करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. जिन बोलीदाताओं के प्रस्ताव अस्वीकार किये जावेंगे उन्हें उनके द्वारा जमा कराई गई उक्त बोली प्रतिभूति राशि बोलियों पर निर्णय के पश्चात बिना ब्याज के लौटाई जावेगी।
8. कम्प्यूटर टिकिटों के पीछे विज्ञापन प्रकाशन हेतु सफल बोलीदाता द्वारा विज्ञापन की सी.डी. अपने खर्चे पर तैयार करवा कर निगम को उपलब्ध करानी होगी।
9. सरकारी विभाग, राजकीय उपक्रम, बैंक, बीमा कम्पनी इत्यादि वर्ग के संस्थान जिनका कि जनहित से सम्बन्ध है, के विज्ञापन के प्रस्ताव को वरीयता दी जावेगी।
10. **सफल बोलीदाता** किसी प्रकार का अश्लील विज्ञापन/राजनैतिक दल का विज्ञापन अथवा **केन्द्र/राज्य सरकार**/स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था/निर्वाचन आयोग/निगम द्वारा प्रतिबन्धित **किसी सामग्री**, वस्तु या सेवा आदि का विज्ञापन प्राप्त नहीं करेगा। इसके उल्लंघन पर होने **वाली हानि के** लिये सफल बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा। किसी भी विज्ञापन को स्वीकार **करने अथवा अस्वीकार** करने का अधिकार निगम को होगा।
11. **सफल बोलीदाता** द्वारा अधिकार पत्र अवधि में उपलब्ध/बुक करवाये गये विज्ञापन के प्रूफ **अपने स्तर पर** अनुमोदित कराने की स्थिति में विज्ञापन के सम्बन्ध में सफल बोलीदाता का पूर्ण वैधानिक उत्तरदायित्व होगा। साथ ही सफल बोलीदाता द्वारा विज्ञापन का प्रूफ 10 दिवस में अनुमोदन करना अनिवार्य होगा।
12. बोली उस बोलीदाता के पक्ष में निर्णित की जा सकेगी जिसकी न्यूनतम गारन्टेड त्रैमासिक राशि अधिकतम हो।
13. बोलियों की विधि मान्यता की कालावधि 90 दिवस होगी।
14. स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापनों पर वसूल किये जाने वाले समस्त प्रकार के टैक्स/प्रभार, शुल्क को जमा करवाने का उत्तरदायित्व सफल बोलीदाता का होगा। करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के ब्याज/कर/शुल्क/क्षति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। उक्त राशि जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता की जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से इसका भुगतान कर दिया जावेगा।
15. अनुबंध के समय सफल बोलीदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 2,00,000/– रूपये (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) जमा करानी होगी।
16. सफल बोलीदाता को न्यूनतम गारन्टेड त्रैमासिक राशि एवं इस राशि पर देय कर निगम में प्रत्येक तिमाही प्रारम्भ होने के 10 दिवस में अनिवार्य रूप से डी.डी. द्वारा अग्रिम जमा करवानी होगी। न्यूनतम गारन्टेड राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराने की अवस्था में उक्त निर्धारित 10 दिवस के बाद जितने दिन देरी से राशि जमा करवाई जावेगी तो देरी के प्रत्येक दिन के लिये 200/–रूपये की पैनल्टी वसूल की जावेगी। प्रत्येक तिमाही के 45 दिन में भी न्यूनतम गारन्टेड राशि जमा नही करवाने पर सफल बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा। न्यूनतम गारन्टेड राशि/विज्ञापन राशि जमा करवाने के उपरान्त ही विज्ञापन वाली टिकिटो का मुद्रण आदेश दिया जावेगा।
17. विज्ञापन का वर्षभर में प्रकाशन 3 करोड़ कम्प्यूटर टिकिटों के पीछे होना अनुमानित है। एक करोड़ से अधिक टिकिटों के लिये विज्ञापन उपलब्ध कराने की स्थिति में बोली दरों के विवरण में बिन्दु संख्या 3 पर प्राप्त दरों के अनुसार विज्ञापन शुल्क देना होगा जिसकी अग्रिम राशि डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। उक्त वर्णित तीन करोड टिकिटों की संख्या अनुमानित है इसमें कमी/वृद्धि सम्भव है।
18. **सफल बोलीदाता** इस सम्बन्ध में हुये अनुबन्ध को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को न तो किराये पर देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरित करेगा।
19. **प्रत्येक टिकिट/कार्ड** की साईज 15x7.5 से.मी. होगी जिस पर लगभग 13 x7 से.मी. साईज **का विज्ञापन मुद्रित** किया जा सकेगा।
20. **टिकिटों/कार्डस** पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान में किसी प्रकार से कमी/वृद्धि होती है तो **इसके लिये दरों** में अनुपातिक संशोधन करने/न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

36 मैसर्स अलीशा एडवरटाइजिंग, बी-51, खादी कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 29.11.2019 का सी/79 पर कृपया अवलोकन फरमावें। उक्त पत्र में कम्प्यूटराईज्ड बस टिकटों के पृष्ठ भाग पर विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। उक्त के संबंध में फर्म द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर द्वारा जारी किया गया अधिकार पत्र क्रमांक एफ. 4/मु0/वित्त/रि.म./2019/760 दिनांक 03.09.2019 सी/80 भी संलग्न किया गया है। उक्त में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर द्वारा मैसर्स अलीशा एडवरटाइजिंग जयपुर को कम्प्यूटर टिकटों के पृष्ठ भाग के लिये विज्ञापन एकत्रित करने के लिये दिनांक 28.08.2019 से 27.08.2020 तक (एक वर्ष) अधिकृत किया गया है।

37 इस संबंध में निवेदन है कि राजस्थान संवाद द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 479 दिनांक 16.10.2019 द्वारा राजस्थान रोडवेज के कम्प्यूटराईज बस टिकटों के पृष्ठ भाग पर जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक संदेश से संबंधित विज्ञापन प्रसार हेतु 50 लाख टिकट के मुद्रण हेतु आदेश प्रदान किये गये थे।

अतः प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

वरिष्ठ कार्यकारी 20/01/2020

सहायक लेखाधिकारी

38

39 कार्यकारी निदेशक (वित्त) कृपया निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक 16/10/19 को राजस्थान संवाद द्वारा जारी 50 लाख टिकटों के मुद्रण की जानकारी

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

90

पेज संख्या [illegible] से [illegible] तक में मै० अलिशा एडवरटाईजिंग, जयपुर को जारी कार्यादेश अवलोकन उपरान्त हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है

24/01/2020

AAO

24/01/2020

FD(F)

24/01/2020

अलिशा एडवर्टाइजिंग को कार्यादेश जारी करने की नोटशीट

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

93

मैसर्स सियाराम पब्लिसिटी, जयपुर से प्राप्त पत्रों का कृपया सी/89-96 पर निरक्षर अवलोकन करावें। उक्त पत्रों के संबंध मे फर्म द्वारा Display of Advertisements Space on Interior Surface Vinyl Wrapping on the Coaches of Train No. 12968/12967 (JP-MAS-JP) Weekly Train Jaipur-Kota-Nagda-Bhopal-Nagpur-Warangal द्वारा राज्य सरकार की विकासोन्मोमुखी योजनाओं के प्रचार-प्रसार करवाने का निवेदन किया है। उत्तर पश्चिमी रेल्वे, जयपुर द्वारा उक्त फर्म को एकमात्र अधिकार (Sole Right) प्रदान किये गये है जो सि सी/91 पर संलग्न है। उक्त कार्यों हेतु फर्म द्वारा प्रस्तावित दरें निम्नानुसार है:-

- Rate01 (one) rake available for advertisement on 24 coaches 6528 only sq.ft. x 100/- per sq.ft = 6,52,800/- 18% GST Extra Rs 1,17,504/-. Total Rs. 7,70,304/- (All coach for 1 month).
- These coaches shall be regaularly taken for periodical over hauling.
- The Total area of displaying commercial advertisement on exterior of the coaches are 6528 sq.ft.
- Minimum 1 (One) months of commitment is required by an advertiser with the number of rakes allotted by the Railways.

अतः सियाराम पब्लिसिटी, जयपुर द्वारा प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं

94 आदेशार्थ प्रस्तुत है।

वरिष्ठ कार्यकारी

सहायक लेखाधिकारी

95

For approval

96 कार्यकारी निदेशक (वित्त) महोदया

MD(RS)

97

एक अन्य फर्म सियाराम पब्लिसिटी,जिसके बारे मे आगे के अंको मे बताया जाएगा...

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

मैसर्स अलीशा एडवरटाइजिंग, सी–61, खादी कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 18.02.2020 जो सी/168 पर कृपया अवलोकन फरमावें। उक्त पत्र में कम्प्यूटराईज बस टिकटों के पृष्ठ भाग पर विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। उक्त के संबंध में फर्म द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर द्वारा जारी किया गया अधिकार पत्र क्रमांक एफ. 4/मु0/वित्त/टि.भ./2019/760 दिनांक 03.09.2019 सी/169 भी संलग्न किया गया है। उक्त में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर द्वारा मैसर्स अलीशा एडवरटाइजिंग जयपुर को कम्प्यूटर टिकटों के पृष्ठ भाग के लिये विज्ञापन एकत्रित करने के लिये दिनांक 28.08.2019 से 27.08.2020 तक (एक वर्ष) अधिकृत किया गया है।

इस संबंध में निवेदन है कि राजस्थान संवाद द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 164 दिनांक 22.01.2020 द्वारा राजस्थान रोडवेज के कम्प्यूटराईज बस टिकटों के पृष्ठ भाग पर जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक संदेश से संबंधित विज्ञापन प्रसार हेतु 50 लाख टिकट के मुद्रण हेतु आदेश प्रदान किये गये है।

अतः प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

28/2/2020
वरिष्ठ कार्यकारी

सहायक लेखाधिकारी

28/2/2020

कार्यकारी निदेशक (वित्त)

दिनांक 22/01/2020 को राजस्थान संवाद द्वारा पुनः 50 लाख टिकटों के मुद्रण की जानकारी

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

101 पेरा [illegible] के क्रम में जारी कार्यादेश के संबंध में मैसर्स अलिशा एडवरटाइजिंग, जयपुर ने आदेशानुसार कार्य सम्पादित कर बिल सं. 005 दिनांक 09.04.2020 राशि 32,45,000/- भुगतान हेतु प्रस्तुत किया है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर के महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा अपने पत्र संख्या एफ 4/मुख्या./वित्त/टि.भ./2019-20/1909 दिनांक 18.05.2020 में केवल 20 लाख टिकट कम्प्यूटराईज्ड होकर प्राप्त करने एवं टिकटों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर आकलन करने का उल्लेख किया है। टिकटों पर मुद्रित विषय निम्नानुसार है:-

1. शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा राजस्थान।
2. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दशा में लिए महत्वपूर्ण निर्णय।

102 अतः फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में केवल 20 लाख टिकटों की राशि 12,98,000/- मय जी.एस.टी. की लेखा जांच उपरांत भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

[illegible signature] /2020
वरिष्ठ कार्यकारी

103 सहायक लेखाधिकारी

104 कार्यकारी निदेशक (वित्त)

अलिशा एडवर्टाइजिंग को 20 लाख टिकटों के लिए किए गए 1298000/-राशि की जानकारी

105 पैरा 101-102/N [illegible] अलिशा एडवरटाइजिंग [illegible] 0.55 [illegible] 20 लाख [illegible] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर [illegible] 2356700 [illegible] 2357000 [illegible] 2356700 [illegible] 2456700 [illegible] 2356700 [illegible] बिल [illegible] राशि 12,98,000 + GST [illegible] भुगतान [illegible] स्वीकृति [illegible] प्रस्तुत है।

[illegible signature]
28/5/2020

106 ED (F) for approval of Payment pl. as proposed at 101-105/N [illegible signature]

107 M.D. Fin. 103 ED Sd/- Cashier [illegible] 28.5.20

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

पैरा 86/एन से 92/एन के क्रम में जारी कार्यादेश के संबंध में मैसर्स अलिशा एडवरटाइजिंग, जयपुर ने आदेशानुसार शेष कार्य सम्पादित कर बिल सं. 005A दिनांक 02.06.2020 राशि 19,47,000/- भुगतान हेतु प्रस्तुत किया है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर के महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा अपने पत्र संख्या एफ.4/मुख्या./वित्त/टि.म./2019-20/818 दिनांक 04.06.2020, 822 दिनांक 25.06.2020 एवं 823 दिनांक 25.06.2020 द्वारा 30 लाख टिकट कम्प्यूटराईज्ड होकर प्राप्त करने एवं टिकटों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर आवंटन करने का उल्लेख किया है। टिकटों पर मुद्रित विषय निम्नानुसार है:-

1. राज्य सरकार की प्राथमिकता युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कारगर तरीके से दूर करना है। इस दृष्टि से प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 75 हजार पदों पर भर्तियां की जा रही है।
2. 24 लाख मजदूरों के लिए राजस्थान सिलिकॉसिस नीति 2019 से सुरक्षा से सहायता।
3. वृद्धजनों का सम्मान भी सुरक्षा भी।

109 अतः फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में 30 लाख टिकटों की राशि 19,47,000/- मय जी.एस.टी. की लेखा जांच उपरान्त भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

25/6/2020 वरिष्ठ कार्यकारी

110 सहायक लेखाधिकारी

111 कार्यकारी निदेशक (वित्त) for approval Pl.

25/6
(सुभाष चन्द्र दानोदिया)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)
राजस्थान संवाद, जयपुर

M.D. Sir

26.6.20

अलिशा एडवर्टाइजिंग को 30 लाख टिकटों के लिए किए गए 1947000/-राशि की जानकारी

E.D. fin

Sr. A.O.

26/6 चैक नं. 7510 63/29.6.2020
वाउचर नं. 158
राशि 1913010/-